

राजस्थान में खदान ब्लॉकों की नीलामी

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार ने राज्य में छोटे और बड़े ब्लॉकों की नीलामी के लिये परसीमन कार्य में तेज़ी लाने का नरिणय लया है ।

मुख्य बढु:

- **अवैध खनन गतवधधियों** से नपडने के लयि सरकार कई खनन स्थलों को तैयार करने और बेचने पर धयान केंद्रति करेगी ।
- खनजि अन्वेषण के लयि डरलुगि और रपुर्ट के वश्लेषण से मूल्यवान खनजिों के अवैध खनन से नपडने में सहायता मलुगी, जससे **राज्य में राजस्व एवं रोजगार के अवसर बढेंगे** ।
- सरकार ने अधकलरयिों से खनजि वधुग के कार्यालयों और कषेत्रों में **जल संचयन प्रणाली** वकिसति करने को कहा है ।
 - इसके अतरकित्त, अधकलरयिों को वधुग के कार्यालयों में ई-फाइलुगि प्रणाली का कुशल संचालन सुनशुचति करने और प्रसंसकरण समय को कम करने का नरुदेश दया गया ।
- **राजस्थान 57 से अधकल वधुनन खनजिों का उत्पादन करने वाले देश में खनजिों की उपलब्धता और ववधिता के मामले में सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है** । खान वधुग ने वर्ष 2023-2024 के दुरान 7,490 करोड रुपए से अधकल का राजस्व अरुजति कया ।
- खान वधुग ने अन्वेषण, डरलुगि, नीलामी के लयि ब्लॉक एवं भूखंड तैयार करने, नीलामी कैलेंडर बनाने और राजस्व संगरह के लयि रोड मैप तैयार करके दैनकल नगरानी सुनशुचति करने के उद्देश्य से एक योजना तैयार की है ।

अवैध खनन

- अवैध खनन भूमया जल नकलयों से आवश्यक परमटल, लाइसेंस या सरकारी प्राधकलरणों से नयामक अनुमोदन के बना खनजिों, अयस्कों या अन्य मूल्यवान संसाधनों का नषिकरण है ।
- इसमें पर्यावरण, शरुम और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन भी शामिल हो सकता है ।
- **भारत में खनन से संबंधति कानून:**
 - भारत के संवधान की सूची-II (राज्य सूची) की क्रुम संख्या 23 की प्रवषुटल राज्य सरकार को अपनी सीमाओं के अंदर स्थति खनजिों के स्वामतुत्व के लयि बाध्य करती है ।
 - सूची-I (केंदुरीय सूची) की क्रुम संख्या 54 पर प्रवषुटल केंदुर सरकार को भारत के **वशुष आरुथकल कषेत्र (EEZ)** के अंदर खनजिों के मालकल होने का अधकलर देती है ।
 - इसके अनुसरण में **खान और खनजि (वकलस तथा वनयुधन) (MMDR) अधनयुधन 1957** बनाया गया था ।
 - लघु खनजिों से संबंधति नीतल और कानून बनाने की शकुतल पूरुी तरह से राज्य सरकारों को सौंपी गई है, जबकल प्रमुख खनजिों से संबंधति नीतल एवं कानून केंदुर सरकार के तहत खान मंत्रालय द्वारा नपटाए जाते हैं ।